



छ.ग. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कबीरधाम
C/O कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम
ग्राम एवं पोस्ट – महाराजपुर, तहसील – बोडला, कवर्धा-491995
 ई-मेल: poly_kabirdham@rediffmail.com
 वेब साइट : www.gpkabirdham.ac.in



GENS/ 32580 /2026-SECTION- GOVT. POLYTECHNIC KABIRDHAM

DATE 17 / 06 / 2026

// आदेश //

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/तक.शि./बजट/476, नया रायपुर दिनांक 31/01/2017 के निर्देशानुसार एवं छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के पत्र क्र./छगस्वावितकवि.प्रशा./कीड़ा/2023/3394 भिनाई, दिनांक 23.06.2023 के अनुसार शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में सत्र 2026-27 में **तृतीय सेमेस्टर** से ली जाने वाली शासकीय एवं अशासकीय शुल्क की राशि निम्नानुसार है-

शासकीय एवं अन्य अशासकीय शुल्क का विवरण			
क्र.	फीस का विवरण	तृतीय सेमेस्टर के छात्रों हेतु	तृतीय सेमेस्टर के छात्राओं हेतु
1	Amalgamated Fee (Yearly)	2500.00	2500.00
2	University Sport Fee (Yearly)	250.00	250.00
	Total Other Fee	2750.00	2750.00
3	Tuition Fee	18000.00	00
	Total(Tuition Fee + Other Fee)	20750.00	2750.00
4*	परीक्षा शुल्क	1426.00 प्रति सेमेस्टर (UR + OBC के लिए) 1131.00 प्रति सेमेस्टर (ST + SC के लिए)	1426.00 प्रति सेमेस्टर (UR + OBC के लिए) 1131.00 प्रति सेमेस्टर (ST + SC के लिए)

* क्रमांक 4 में उल्लेखित फीस का विवरण को छात्र/छात्राओं द्वारा स्वयं ऑन – लाइन के माध्यम से CSVTU Bhilai को समय-समय पर भुगतान करना होगा।

नोट: -1. अनु. जाति/ जनजाति एवं अ.पि.व. के प्रवेश के समय छात्रों को शिक्षण शुल्क (18000/-) में छुट प्राप्त करने हेतु पालक के समस्त श्रोतों से आय प्रमाण पत्र (SC/ST 2,50,000 & OBC 1,00,000) एवं स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. छत्तीसगढ़ शासन तकनीकी शिक्षा जनशक्ति नियोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक/2067/2014/तक.शि/42, नया रायपुर दिनांक 09.07.2014 के निर्देशानुसार समस्त छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

3. छत्तीसगढ़ शासन को शुल्क के संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है एवं प्रस्ताव स्वीकृति उपरांत शुल्क में संशोधन किया जा सकता है।

प्राचार्य
 छ.ग. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कबीरधाम

प्रतिलिपि :- निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विभागाध्यक्ष (EE, ET&T, CSE, CDDM, 1st Year) को सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
2. लेखा शाखा शासकीय पॉलीटेक्निक कबीरधाम (छ.ग.)।
3. प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति शाखा।
4. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट।
5. प्रभारी अधिकारी एस.बी.आई. कलेक्ट/केशलेश कार्य को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।